

According to certain newspaper reports, in Delhi and surrounding areas, many so-called placement agencies are bringing girls from Orissa, Jharkhand and Chhattisgarh in the name of providing employment. In the beginning, these innocent girls are engaged as domestic servants for a paltry payment of a few hundred rupees. In due course, they are sexually exploited. An NGO has discovered such rackets in NOIDA and the NCR Which has been extensively reported during last November in national newspapers.

This nefarious activity of the so-called placement agencies must stop. The innocent, poor, helpless tribal girls must be rescued. It is high time the Government holds an immediate enquiry into this affair and punish the guilty. The girls also should be rehabilitated with dignity.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

Demand for enactment and implementation of Uniform Civil Code in the Country

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अनेक धर्मों, सम्प्रदायों एवं उनकी शाखाओं को मानने वाले लोग रहते हैं जो अनेक प्रकार की बोलियाँ बोलते हैं तथा विभिन्न प्रकार के रस्मों-रिवाजों को मानते हैं। सबकी अपनी मान्यताएं हैं तथा उनके श्रद्धेय भी अलग-अलग हैं। सब धर्मों, रस्मों, रिवाजों एवं मान्यताओं में अच्छाइयाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं, अच्छे रस्मों रिवाज हैं तो कुरीतियाँ भी हैं फिर भी हमारा देश एकता में अनेकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे महसूस किया तथा सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों को एकता में बाँधे जाने की आवश्यकता महसूस की जिसकी परिणति संविधान में अनुच्छेद 44 को सम्मिलित किए जाने से हुई जिसके अन्तर्गत राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। लेकिन संविधान में समाहित इस दिशा-निर्देश का अभी तक पालन नहीं हुआ है और न ही इसके लिए कोई ठोस किया गया है। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी समान सिविल संहिता बनाने को एवं लागू करने की आवश्यकता को महसूस किया है लेकिन उच्चतम न्यायालय की भावना को भी अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि यथाशीघ्र समान सिविल संहिता बना कर उसे समस्त देश में लागू कर हमारे संविधान निर्माताओं एवं उच्चतम न्यायालय की भावना का आदर किया जाए ताकि देश में एकता और भाईचारे की नयी मिसाल कायम हो सके।

धन्यवाद।

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री अजय मारू (झारखंड): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**Demand to roll back the increase in medical charges in AIIMS,
New Delhi**

श्री लेखराज वचानी (गुजरात): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

डा.ज्ञान प्रकाश पिलानिया (राजस्थान): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): महोदय, पिछले दिनों अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान (एम्स) ने चिकित्सा एवं जांच शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है। इलाज एवं जांच में अचानक वृद्धि एम्स की भावना एवं समाज की आर्थिक तथा सामाजिक सच्चाई के विपरीत है। एम्स में गरीब लोगों को निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच को बंद करने का निर्णय बिल्कुल अनुचित है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एम्स देश की गरीब जनता का सहारा है और यह उनकी सेवा के लिए है। इसलिए इसके सेवा शुल्क या कीमतों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। इस संस्थान में मुख्यतः गरीबों का ही इलाज होता है और इस बढ़ोतरी से इन पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा।

1956 में जब अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान (एम्स) की स्थापना की गयी थी, तब इसे व्यावसायिक श्रेणी से बाहर रखा गया था परन्तु अब प्रशासन मामूली जांच पर भी शुल्क वसूलने लगा है। यह कदम चिन्ताजनक है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि वह तत्काल हस्तक्षेप करके इलाज एवं जांच के लिए बढ़ायी गयी राशि को वापस लेने का निर्देश दे। धन्यवाद।